न्यायालय जिला कलेक्टर स०मा०

निगरानी 18/2020 बउनवानी सत्यनारायण पुत्र श्योकरण मीना
बनाम
नटी देवी वगै.

तारीख हुक्म
20.7.2022

JCMS No. 2020/00154

अनुसूचित जाति की बीपीएल श्रेणी की महिला है। प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पर 3 वाड पचो की कमेटी बनाकर संयुक्त मौका रिपोर्ट चाही गयी। संयुक्त कमेटी द्वारा उत्तर से दक्षिण 15 वर्गगज एवं पूर्व से पश्चिम 10 वर्ग गज भूमि कुल 150 वर्गगज पर प्रार्थीया का कब्जा होना एवं आस–पास परिक्षेत्र में 50–60 परिवारों के मकान होना अंकित किया है। वार्ड पंचो की संयुक्त कमेटी द्वारा बीपीएल 2002 व अनुसूचित जाति होने के कारण निःशुल्क पटटा जारी करने की अनुशंषा की जाने पर राजस्थान पंचायतीराज नियम,1996 के नियम 58 के तहत तत्कालीन सचिव सत्यनारायण मीना एवं तत्कालीन सरपंच जगदीश गुर्जर द्वारा पटटा संख्या 3 दिनांक 22.11.2010 को निःशुल्क जारी किया गया है। विकास अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट मे यह भी अंकित किया है कि उक्त प्रकरण में श्रीमति गंदोडी देवी पत्नि रामजीलाल बनाम नटी देवी पुत्री ग्यारसी लाल बैरवा पत्नि बद्री लाल के नाम से एक प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय में पेश हुआ था जिसका निर्णय दिनांक 27.4.2018 को किया जाकर निगरानी खारिज की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा संख्या 3 दिनांक 22.11.2010 को यथावत रखा गया है। उक्त पटटे की भूमि पर वर्ष 2010 मे इन्द्रा आवास निर्माण हेतु 50,000/–रू स्वीकृत हुई थी जिसके तहत श्रीमति नटी देवी द्वारा आवास निर्माण करवाया है। उक्त प्रकरण माननीय लोकायुक्त सचिवालय जयपुर में विचाराधीन है जिसमे श्रीमान संयुक्त सचिव, द्वितीय लोकायुक्त सचिवालय जयपुर के पत्रांक 1764 दिनांक 8.12.2021 द्वारा नियम विरूद्व इन्द्रा आवास निर्माण के लिए उत्तरदायी प्रतिनिधि/लोक सेवक के विरूद्व नियमानुसार करने एवं इन्द्रा आवास मे निष्फल व्यय की वसूली के आदेश दिये जाने पर सचिव से 25000/–रू रसीद संखय 4 दिनांक 20.6.2022 से जमा करवाये जा चुके है तथा सरपंच जगदीश गुर्जर से वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

वकील निगरानीकार एवं अप्रार्थी को सुनने एवं विकास अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि यद्यपि ग्राम पंचायत द्वारा पटटा संख्या 3 चरागाह भूमि पर जारी किया गया है किन्तु उक्त पटटे की निगरानी पूर्व में अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर मे प्रस्तुत होकर निर्णित हो चुकी है। इसलिए उक्त प्रकरण रेस ज्यूडीकेटा की श्रेणी [illegible] कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः निगरानीकार की निगरानी रेस ज्यूडीके[illegible] मे होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश सुनाया [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:28:41 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर